



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

गैंगेस्टर के वांछित दो अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद सीतापुर में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु एवम् वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा निरंतर प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना तालगांव एवम् थाना अटरिया पुलिस द्वारा दिनांक 29/30.09.2020 को गैंगेस्टर एक्ट में वांछित दो अभियुक्तों 1. छोटू उर्फ इम्तियाज पुत्र असगर उर्फ इसरार निवासी मो० मियागंज कस्बा व थाना बिसवां जनपद सीतापुर हाल पता ग्राम गजनीपुर थाना सकरन जनपद सीतापुर 2. राम दयाल पुत्र बाबू रावत निवासी ग्राम दुन्दपुर थाना अटरिया जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया गया। विवरण निम्न है-

थाना तालगांव

दिनांक 30.09.2020 को थाना तालगांव पुलिस टीम द्वारा मु०अ०सं० 321/2020 धारा 2ख(17)/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना तालगांव जनपद सीतापुर में वांछित छोटू उर्फ इम्तियाज पुत्र असगर उर्फ इसरार निवासी मो० मियागंज कस्बा व थाना बिसवां जनपद सीतापुर हाल पता ग्राम गजनीपुर थाना सकरन जनपद सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का गोकश है। अभियुक्त की संपत्ति का पता लगाकर अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी। अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया जा रहा है। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी।

- अभियुक्त का नाम व पता- छोटू उर्फ इम्तियाज पुत्र असगर उर्फ इसरार निवासी मो० मियागंज कस्बा व थाना बिसवां जनपद सीतापुर हाल पता ग्राम गजनीपुर थाना सकरन जनपद सीतापुर
- गिरफ्तार करने वाली टीम -
 1. उ०नि० श्री रमेश कुमार कनौजिया
 2. का० सरफराज
 3. का० तेजवन्त

- **आपराधिक इतिहास**

1. मु0अ0सं0 207/20 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना तालगांव सीतापुर
2. मु0अ0सं0 321/20 धारा 2ख(17)/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 थाना तालगांव सीतापुर



थाना अटरिया

दिनांक 29.09.2020 को थाना अटरिया पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 280/2020 धारा 2 (ख) (II) गैंगेस्टर एक्ट थाना अटरिया जनपद सीतापुर में वांछित अभियुक्त राम दयाल पुत्र बाबू रावत निवासी ग्राम दुन्दपुर थाना अटरिया जनपद सीतापुर को ग्राम दुन्दपुर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जो कि काफी शातिर किस्म का शराब तस्कर है। अभियुक्त की संपत्ति का पता लगाकर अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी। अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी।

- **अभियुक्त का नाम व पता-** राम दयाल पुत्र बाबू रावत निवासी ग्राम दुन्दपुर थाना अटरिया जनपद सीतापुर
- **गिरफ्तार करने वाली टीम –**
 1. उ0नि0 श्री राधेश्याम यादव
 2. आरक्षी विजय पाल
 3. हो0गा0 विनोद कुमार

4. हो0गा0 अनिल कुमार वर्मा

• आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 223/17 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना अटरिया,सीतापुरा
2. मु0अ0सं0 112/18 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना अटरिया,सीतापुरा
3. मु0अ0सं0 62/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना अटरिया,सीतापुरा
4. मु0अ0सं0 268/20 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना अटरिया,सीतापुरा
5. मु0अ0सं0 280/2020 धारा 2 (ख) (II) गैंगेस्टर एक्ट थाना अटरिया जनपद सीतापुर

